कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट(सोनभद्र)

पत्रांक–3211 /रेनुकूट/15–108 दिनांक,रेनुकूट,मार्च, 23, 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की बीना परियोजना को बीना–ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे0 वन भूमि 30 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षो के पातन संबंधित प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/MIN/24551/2017 के संबंध में ।

संदर्भः– 1–महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0 वीना परियोजना, बीना–सोनभद्र का पत्र संख्या–बीना/यू0पी0 फारेस्ट/एफ0सी0/2020/22 दिनांक– 15.12.2020
2–इस कार्यालय का पत्रांक– 2646/रेनुकूट/15–108 दिनांक–03.02.2021
3–आपका पत्र संख्या– 3337/मी0क्षे0/33 दिनांक– 09.02.2021

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रकरण में आपके संदर्भित पत्र दिनांक– 09.02.2021 द्वारा इंगित कमियों का निराकरण कराते हुए निम्नानुसार आख्या /अभिलेख संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0 सं0	मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्र संख्या– 3337/मी0क्षे0/33 दिनांक– 09.02.2021 में अंकित बिन्दु	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रश्नगत परियोजना में कुल 14000 हजार वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जो प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–15 पर उल्लेख हैं जबकि ऑन लाईन भाग–2 में 5932 वृक्षों का उल्लेख है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना में विभिन्न प्रजाति के कुल 14000 वृक्ष प्रभावित हो रहे है जिसका विवरण ऑन लाईन भाग–2 में किया गया है ।
2	प्रश्नगत परियोजना हेतु 30.50हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सापेक्ष 61.00हे0 क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–1428/11–सी दिनांक 16.12.2020 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में वांछित प्रमाण–पत्र वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 332 पर संलग्न करा दिया गया है ।
3	प्रश्नगत परियोजना में संलग्नक वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जिलाधिकारी, सोनभद्र का प्रमाण पत्र भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वांछित प्रमाण–पत्र का प्रारूप भारत सरकार के पत्र दिनांक– 12.01.2021 द्वारा निर्धारित किया गया है जबकि प्रश्नगत प्रस्ताव में

	पत्रांक–11/Mise/618/2010-17/U.P. Raj/ delhi/ 111/1448 दिनांक 12.01.2021 द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं है।	जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा वांछित प्रमाण–पत्र दिनांक– 16.05.2020 को **तत्समय निर्धारित प्रारूप** में जारी किया गया है जिसे स्वीकार करने की कृपा करें ।
4	परियोजना में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–343/11–सी दिनांक 14.08.2020 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में वांछित प्रमाण–पत्र वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 333 पर संलग्न करा दिया गया है ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(एम0पी0सिंह) 23.03.2021

वन संरक्षक/ प्रभागीय वनाधिकारी

रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या– अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपिः महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0 बीना परियोजना, बीना–सोनभद्र को उनके पत्र संख्या–बीना/यू0पी0 फारेस्ट/एफ0सी0/2021/31 दिनांक– 15.03.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप अपने नामित प्रतिनिधि को मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के यहॉ भेजकर प्रस्ताव के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

(एम0पी0सिंह)

वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट